

लखनऊ :: दिनांक :: 16, नवम्बर, 2015

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0/ कारपोरेट) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विभागीय वसूली जनपदों में वसूली का कार्य संग्रह कार्य में लगे कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है । जारी वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध संग्रह अमीन द्वारा व्यापारी से सम्पर्क स्थापित कर अवशेष बकाया के विरुद्ध धनराशि प्राप्त कर स्वयं अपने स्तर से चालान के माध्यम से स्टेट बैंक में जमा की जाती है तथा चालान व्यापारी को एवं वसूली प्रमाण पत्र के विरुद्ध वसूली दर्शाते हुए वसूली प्रमाण पत्र के साथ चालान की एक प्रति विभाग में जमा की जाती है ।

उक्त कार्यवाही में संग्रह अमीन द्वारा की गयी कार्यवाही का सत्यापन किसी स्तर पर नहीं किया जाता है । मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि एक जोन विशेष में संग्रह अमीन द्वारा व्यापारी से प्राप्त की गयी धनराशि को बैंक में जमा करते समय चालान में वास्तविक रूप से घोषित नहीं किया गया तथा प्राप्त चालान में व्यापारी द्वारा दी गयी वास्तविक धनराशि, त्रुटिपूर्ण ढंग से दर्शाते हुए वसूली प्रमाण पत्र व्यापारी को तथा विभाग में दिया गया । इस प्रकार संग्रह अमीन द्वारा राजकीय धन का गबन किया गया है । विभाग में चालान के माध्यम से जमा धनराशि का विवरण स्टेट बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसमें दैनिक वसूली / राजस्व प्राप्तियों की सूचना रहती है । व्यापारी को जमा का लाभ देते समय, यदि विभाग में संग्रह अमीन अथवा व्यापारी द्वारा दिये गये चालान में दर्शायी गयी जमा की धनराशि को यदि स्टेट बैंक से प्राप्त विवरण (स्काल) से मिलान किया गया होता तो इस प्रकार की अनियमितता / गबन की स्थिति नहीं बनती तथा विभाग को राजस्व की क्षति नहीं होती ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि संग्रह अमीनों द्वारा चालान से जमा की गयी धनराशि का मिलान स्टेट बैंक से प्राप्त स्काल से किया जाये ताकि राजकीय धन के गबन की स्थिति उत्पन्न न हो । मिलान पर यदि भिन्नता पायी जाये, तो उसके सम्बन्ध में मुख्यालय को अविलम्ब अवगत कराते हुए । नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये । संग्रह अमीन द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध नगद धनराशि प्राप्त करने की अपेक्षा चेक के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने पर भी बल दिया जाये ताकि उक्त प्रकार के गबन की स्थिति उत्पन्न न हो ।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये ।

(मुकेश कुमार मेश्राम)

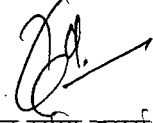
कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र सं० व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2, (वि० अनु० शा० / अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- एडीशनल कमिशनर (उ० न्या० कार्य) वाणिज्य कर, लखनऊ, इलाहाबाद ।
- 3- समस्त कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 4- समस्त डिप्टी कमिशनर (कर वसूली) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।



(देव मणि शर्मा)

डिप्टी कमिशनर (संग्रह) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।